जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-30.07.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-

दिनांक 29.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 छुरा।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार-कारतूस व छुरा बरामदः-

आज दिनांक 30.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अकरम पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली।

2.सागर पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कुराड़ थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त अकरम से बरामद)।

2.एक अवैध छुरा (अभियुक्त सागर से बरामद)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अकरम उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 378/2015 धारा 411/420 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 347/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 356/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 359/2024 धारा 317(2)/336 बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 172/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 325/2025 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अकरम उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 325/2025 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मेः-

ज्ञात हो कि थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.07.2025 को थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 30.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 04 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 14,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2014 में अभियुक्त मारूफ पुत्र महबूब निवासी मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 607/2014 धारा 379/411 भादवि 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2025 में अभियुक्त मारूफ पुत्र महबूब निवासी मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2014 में अभियुक्त आसिफ पुत्र अख्तर निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 439/2014 धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2020 में अभियुक्त गोपान उर्फ गोविन्द पुत्र केवल गवरिया निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI